पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बोहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 20.9.22 को पेश होवें।
(20-9-22)

20-9-22

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उप. अधिवक्ता अप्रार्थी स. 2 व 4 उपस्थित होकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण स. 2 व 4 के बीच हुए राजीनामे की मूल प्रति वाद पत्रावली में पेश की। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने के लिए काफी अवसर दिये जा चुके है परन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया इसलिए जवाब बन्द किया जाता है अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति जवाब प्रस्तुत नही करने से बहस एक तरफा सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मे अंकित तथ्यो का दोहराव करते हुए तो फैसला वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी स. 2 व 4 ने अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द बाबत अपनी मौखिक सहमति दी। इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति एव जवाब पेश नही करने पर एव प्रार्थना-पत्र मे अंकित तथ्यो को सही मानते हुए तथा वाद बाहुल्य की सम्भावना को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना जाना न्यायहित मे उचित

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रतीत होता है। अतः विवादित आराजी खसरा 1628 रकबा 2.10 हैक्टर वाके ग्राम बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ के राजस्व रिकार्ड व मौके की तारफैसला मूलवाद यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूलवाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	